सार-समाचार

मरीजों को फल वितरित

कोटा, (निसं)। आर्य उप प्रतिनिधि सभा कोटा संभाग ने महर्षि दयानन्द सरस्वती की 201वीं जयंती पर एमबीएस अस्पताल के कैंसर वार्ड व जेके लोन मातृ शिशु अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। आर्य समाज के मीडिया प्रभारी मुकेश चढ्डा ने बताया कि एमबीएस अस्पताल के कैंसर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आरके तँवर का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया व सर्वे सन्तु निरामया की भावना तथा वेद मन्त्रों के साथ वार्ड में फल वितरित किए। इस अवसर पर डॉ.आर के तँवर ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती महान समाज सुधार थे। समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों, बुराईयों को मिटाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, महर्षि दयानन्द सरस्वती के विचार व सिद्धांत स्पष्ट व जन कल्याणकारी थे। इस अवसर पर आर्य उप प्रतिनिधि सभा कोटा संभाग के प्रधान अरविंद पाण्डेय, डीएवी स्कूल कोटा की प्राचार्य पल्लवी अरोड़ा, धर्म शिक्षक शोभाराम आर्य, वैदिक विदुषी डॉ.सुदेश आहूजा, कोषाध्यक्ष राधाबल्लभ, राकेश चढ्डा, प्रदीप शर्मा, जय प्रकाश श्रीवास्तव, किशन आर्य हरियाणा उपस्थित रहे। जेके लोन अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक मोहन लाल बैरवा ने मातृ शिशु वार्ड में फल वितरण में सहयोग प्रदान किया।

राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी दो को कोटा आएंगे

कोटा, (निसं)। भाजपा के ख्यातनाम प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद एवं सनातन के ओजस्वी वक्ता सुधांशु त्रिवेदी 2 मार्च को कोटा प्रवास पर रहेंगे। जितेंद्र गोयल तथा रवि अग्रवाल ने बताया कि सुधांशु त्रिवेदी कोटा के दशहरा मैदान में भारत विकास परिषद् एवं जनमंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा की बुधवार को हुई आमसभा में कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिसमें जनमंच अध्यक्ष के जितेंद्र गोयल ने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी प्रसिद्ध, अपने विचारों के धनी, हिन्दुत्व को बदनाम करने वालों का पर्दाफाश करने वाले सनातनी, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हैं। बैठक में जनमंच अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, गोविंद माहेश्वरी, सुरेश अग्रवाल, शाखा अध्यक्ष तेजेश-रीमा, सचिव विकास-सौम्या, सतीश-ज्योति, दीप-अभिलाशा, प्रवीण-उषा, विष्णु-शशि, कमल- उमादेवी, वेदप्रकाश, बालमुकुंद, मुकुट बिहारी, अनिल, रवि अग्रवाल उपस्थित रहे।

किशोर लापता

छबड़ा (निसं)। बापचा क्षेत्र निवासी एक किशोर लापता हो गया। जिसे परिजनों ने हर जगह तलाश किया, किन्तु इसका कोई सुराग नही लगा। जानकारी अनुसार बापचा थाना निवासी माणकचौक निवासी मोहित लोधा (15) पुत्र जगदीश लोधा, जो यहां के मारुति नगर में किराए के मकान में रहकर पढ्ताई करता है। यह अभी कक्षा 10वीं में अध्ययनरत है। जो मंगलवार को सुबह 11 बजे से कमरे से बिन बताए लापता हो गया। यह किशोर मानसिक रूप से कमजोर भी बताया जा रहा है।

विकसित भारत की नींव आधार है, केन्द्रीय बजट : गोपाल कृष्ण अग्रवाल

कोटा, (निसं)। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने केन्द्रीय बजट की परिचर्चा को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वप्न के विकसित भारत निर्माण की नींव है प्रस्तुत बजट। जिससे जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब भारत में जीरो गरीबी हो जायेगी। भारत गरीबी की समस्या से मुक्त होकर पूर्ण विकसित देश बनेंगा।

राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए बहुआयामी लक्ष्य तय करके, पूरी जवाबदेही से कार्यों को पूरा करने की रणनीति से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार काम कर रही है। जिससे भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार नें बजट में कर प्रणाली को आसान किया है और मध्यमवर्ग को बड़ी राहत दी है।

अग्रवाल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज और व्यवस्थित गति से आगे बढ़ रही है। जिसकी जीडीपी दर विश्व में सबसे तेज है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार में हम आत्मनिर्भर हैं, इतिहास का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में भारत के पास है।

देश अपनी सभी आयात जरूरत को पूरा करने में आत्मनिर्भर है, सक्षम है। देश ने अर्थव्यवस्था के सभी मापदंडों पर श्रेष्ठता हासिल की हुई है। इस तरह से भारत विश्व में सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था वाला देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बन चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत-2047 के लिए वर्तमान बजट में चार ग्रोथ इंजन तय किए गए हैं यह है कृषि, लघु उद्योग, निवेश और निर्यात। जिन पर विशेष फोकस करके देश की प्रगति को नई ऊंचाई प्रदान करने की कोशिश की जाएगी।

राष्ट्रीय प्रवक्ता अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान को केंद्रीय बजट से सभी प्रकार की घोषणाओं एवं योजनाओं और कल्याणकारी कार्यों का जमीनी स्तर तक लाभ प्राप्त होगा। वहीं केंद्र के बजट में नए एयरपोर्ट, नए टूरिज्म सेंटर, जल जीवन मिशन, नेशनल हाईवे, पॉवर सेक्टर , रेलवे जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में भी अतिरिक्त निवेश का लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर मंचस्थ रहे रेड क्रॉस सोसायटी प्रदेश अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन, मीडिया कोटा संभाग संयोजक अरविंद सिसोदिया, जिला उपाध्यक्ष रितेश चित्तौड़ा, सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक मयंक सेठी स्वागत जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने किया और संचालन मीडिया संभाग संयोजक अरविंद सिसोदिया नें किया।

मनोज दुबे तालाब बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष नियुक्त

- तालाबों पर भूमाफियाओं के द्वारा लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण चिंता का विषय
- तालाब बचाओ संघर्ष समिति करेंगी आंदोलन
- 'तालाबों को बचाने व संरक्षण की अति-आवश्यक है'

कोटा, (निसं)। मनोज दुबे को तालाब बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष चुना गया हैं। आज जल संरक्षण के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक मे तालाब बचाओं संघर्ष समिति का गठन किया गया है। जो कुंओं तालाबों एवं बावडियों को बचाने के लिए आंदोलन करेंगी।

तालाब बचाओं संघर्ष समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज दुबे ने कहा की भारत में जलवायु परिवर्तन चिंता का विषय है। तथा तालाबों का अवैध भरान भी चिंता का विषय है।तालाब बचाओ संघर्ष समिति तालाबों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण का पुरजोर विरोध करेंगी। तालाबों पर हो रहे अवैध अतिक्रमणों को खाली करवाकर तालाबों के स्वरुप मे लाया जाएगा।

मनोज दुबे ने कहा कि तालाब जल संरक्षण का बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे भू-जल को बनाए रखने मे तालाबों की बहुत बड़ी भूमिका है।

तालाब रहेंगे तो हमें जल मिलता रहेगा। तालाब नष्ट होंगे तो हमें पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा। तालाबों पर भू-माफियाओं के द्वारा लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण चिंता का विषय हैं। जिस ओर सरकार व जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर तालाबों से अतिक्रमण हटवाया जाएगा।

मनोज दुबे ने कहा की तालाब जहाँ बरसात के पानी को बचाने व जल स्तर को बढ़ाने मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है।

वही गांव बस्तियों को भारी वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ से भी बचाव करते है। ऐसे में तालाब हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तालाबों को बचाने व संरक्षण की अति-आवश्यक है।

कारागृह का निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुधवार को केन्द्रीय कारागृह का औचक निरिक्षण किया। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अनिल कुमार सिंघल एवं शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलिप सैनी के निर्देशन में पुलिस उपअधीक्षक वृत प्रथम योगेश शर्मा, पुलिस उपअधीक्षक वृत चतुर्थ मनीश शर्मा, पुलिस उपअधीक्षक एससी एसटी सेल के हरिराम सोनी एवं विभिन्न थानों के 20 थानाधिकारी सहित केन्द्रीय कारागृह के जेल अधीक्षक राजेन्द्र कुमार, सहित पुलिसकर्मियों ने गहनता से तलाशी ली।

होलिका रोपण किया

बून्दी (निसं)। हर वर्ष की भांति सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए वैदिक मन्त्रोच्चार के साथ श्री रेतवाली महादेव मन्दिर पर होलिका पूर्णिमा पर होलिका का रोपण किया गया। समाज सेवी कालू कटारा ने बताया कि होली रोपण के साथ ही फाल्गुन माह की शुरुआत होने से प्रतिदिन मन्दिर पर होली के भजनों पर गुलाल एवं फूलों की होली खेली जायेगी एवं 13 मार्च को होलिका दहन शुभ मुहूर्त में कर दिया जायेगा। श्री रेतवाली महादेव पर करीब 80 वर्ष से होलिका दहन होता आ रहा है।

सार-समाचार

अवैध शराब व हथियार सहित गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। बूढ़ादीत थाना इलाके मे पुलिस टीम ने दो अलग-अलग मामलों में कार्यवाही करते हुए अवैध देशी शराब के 50 पव्वो एवं अवैध हथियार छुर्रा सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि इटावा के पुलिस उपअधीक्षक शिवम जोशी के सुपरविजन में बूढ़ादीत थाने के उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह हाड़ा के नेतृत्व मे गठित टीम ने दो अलग-अलग कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने टाकरवदा रोड़ बूढ़ादीत के पास गोशाला के सामने कार्यवाही करते हुए अवैध देशी शराब को परिवहन करते हुए 50 पव्वों सहित बड़ा तलाब मोहल्ला बूढ़ादीत निवासी नरेश कुमार मीणा (32) को गिरफ्तार किया। वहीं टीम ने इलाके के किशनगंज नहर के समीप कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को डिटेन कर तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार छुर्रा बरामद किया। पुलिस ने मौके पर आर्म्स एक्ट में कार्यवाही करते हुए बूढ़ादीत निवासी देशराज (30) को गिरफ्तार किया। पकड़े गये दोनों आरोपियो से अनुसंधान जारी है।

श्रीमद्भागवत कथा का समापन

कोटा, (निसं)। स्टेशन स्थित श्रीराम मंदिर के माधव भवन में 5 फरवरी से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन बुधवार को हुआ। श्रीमद् भागवत कथा में वृंदावन से आये हुए कथा वाचक राहुल पराशर ने भागवत कथा में शिव-पार्वती विवाह वामन अवतार, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन पूजा, रूकमणी मंगल व सुदामा चरित्र की कथा का वाचन किया। जिसे उपस्थित भक्तों ने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा के समापन के अवसर पर पूर्णाआहुति हुई और प्रसाद का वितरण किया गया। आयोजककर्ता राहुल पाराशर ने बताया कि पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्रीराम मंदिर परिसर में कराया गया था। जिसमें बढ़-चढ़कर श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

शिविर में 74 मरीजों को परामर्श दिया

कोटा, (निसं)। सीएमएचओ डॉ. नरेन्द्र नागर के निर्देशन में बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविंद नगर की ओर से वार्ड 11 , काली माता मंदिर सूर्य नगर मे नि:शुल्क आउटरीच चिकित्सा एव परामर्श शिविर लगाया गया। कैम्प में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ.परवेज खान, फिजिशियन डॉ.हिदायत पठान, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.टीसी आचार्य ने सेवाएं दी। कैंप प्रभारी गिरीश शर्मा ने बताया कि कैम्प में 74 मरीजों को नि:शुल्क परामर्श व दवाईयां दी गई। शिविर में एनसीडी स्क्रीनिंग, टीकाकरण भी किया गया। आभा आईडी, मां वाउचर योजना, आयुष्मान कार्ड वितरण सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी व मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/3308 **विज्ञप्ति** दिनांक:-12.02.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम बालीता में स्थित कृषि भूमि योजना मेपल पार्क भूखंड संख्या 11 खसरा नं. 233 आवेदक/आवेदिका श्री इन्द्र राज एवं श्री जितेन्द्र पिसरान श्री किशनलाल निवासी हनुमान मंदिर के पास खण्ड गांवड़ी सिविल लाईन कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 1929 दिनांक 22.12.2022 को श्री बृजेश योगी पुत्र श्री लाल योगी के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 03.05.2024 को जर्ये मुख्तारआम श्री विपुल महाजन पुत्र श्री श्याम सुन्दर गुप्ता द्वारा आवेदकों के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री इन्द्र राज एवं श्री जितेन्द्र पिसरान श्री किशनलाल के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। **उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण**

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4891 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 6.2.25

आवास संख्या 3-बी-4 महावीर नगर तृतीय कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री मोहन लाल पुत्र श्री नाथूलाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री उमाशंकर साह पुत्र श्री सुख देव शाह के नाम दिनांक 31.12.1994 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री उमाशंकर साह पुत्र श्री सुख देव शाह के नाम दिनांक 31.12.1994 को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र श्री उमाशंकर साह पुत्र श्री सुख देव शाह की मृत्यु दिनांक 17.11.2020 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती भगवती देवी पत्नी स्व. श्री उमाशंकर उर्फ उमाशंकर साह, श्रीमती मधु गुप्ता पत्नी श्री सतीश गुप्ता पुत्री स्व. श्री उमाशंकर उर्फ उमाशंकर साह, श्रीमती पूनम गुप्ता पत्नी श्री आशीष गुप्ता पुत्री स्व. श्री उमाशंकर उर्फ उमाशंकर साह द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 26.02.2024 को श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री उमाशंकर उर्फ उमाशंकर साह के पक्ष में किया गया। श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री उमाशंकर उर्फ उमाशंकर साह द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-बी-4 महावीर नगर तृतीय कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री उमाशंकर उर्फ उमाशंकर साह के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री उमाशंकर उर्फ उमाशंकर साह के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री उमाशंकर उर्फ उमाशंकर साह के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ11/विक्रय/2025/760 दिनांक 31.1.2025

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना केशवपुरा-7 बसंत विहार आवास संख्या 695 का आवंटन क्रमांक 380 दिनांक 19.06.1885 को श्रीमती शशिकला शर्मा पुत्री श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा के नाम आवंटन किया गया था। जिसके उपरान्त क्रेता श्रीमती शशिकला शर्मा की मृत्यु दिनांक 03.04.2011 हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्रीमती शशिकला शर्मा पुत्री श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रिलीज डीड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि के आधार पर श्री मयंक शर्मा पुत्र श्री गिरीश कुमार शर्मा द्वारा उक्त आवास संख्या 695 केशवपुरा-7 बसंत विहार अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 695 केशवपुरा-7 बसंत विहार का नाम हस्तान्तरण श्री मयंक शर्मा पुत्र श्री गिरीश कुमार शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-4771 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 29.1.25

आवास संख्या 9/83 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री परमानंद वर्मा पुत्र श्री भवरलाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री मंयक जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन के नाम दिनांक 14.05.2013 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री मंयक जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन द्वारा दिनांक 12.06.2013 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरान्त श्री मंयक जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 06.08.2013 को श्री दुर्गालाल मीणा पुत्र श्री हजारीलाल मीणा को किया गया। श्री दुर्गालाल मीणा पुत्र श्री हजारीलाल मीणा का नाम दिनांक 06.11.2015 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया है। तत्पश्चात श्री दुर्गालाल मीणा पुत्र श्री हजारीलाल मीणा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 15.11.2022 को श्री प्रेमचन्द मीणा पुत्र श्री रामकिशोर मीणा को किया गया। श्री प्रेमचन्द मीणा पुत्र श्री रामकिशोर मीणा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 9/83 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री प्रेमचन्द मीणा पुत्र श्री रामकिशोर मीणा का नाम दर्ज करनें में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री प्रेमचन्द मीणा पुत्र श्री रामकिशोर मीणा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री प्रेमचन्द मीणा पुत्र श्री रामकिशोर मीणा का नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-4877 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 6.2.25

आवास संख्या 4-सी-5 दादाबाडी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार सोलंकी पुत्र स्व.श्री श्रीनारायण सिंह को किया गया था। श्री देवेन्द्र कुमार सोलंकी पुत्र स्व.श्री श्रीनारायण सिंह की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उक्त आवास का हस्तान्तरण दिनांक 17.05.1991 को इनकी पत्नी श्रीमती सीता सोलंकी के नाम किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती सीता सोलंकी पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार सोलंकी के नाम दिनांक 30.09.1991 को अपने पक्ष में करवाया गया। श्रीमती सीता सोलंकी पत्नी स्व.श्री देवेन्द्र कुमार सोलंकी की मृत्यु दिनांक 07.04.2015 को हो जाने के उपरांत उक्त आवास का हस्तांतरण हकत्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर दिनांक 15.05.2023 को श्री राजवीर सिंह सोलंकी पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार सोलंकी के पक्ष में किया गया। तत्पश्चात श्री राजवीर सिंह सोलंकी पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार सोलंकी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 30.08.2024 को श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, श्री नरेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा पिसरान स्व.श्री जमना प्रसाद शर्मा को संयुक्त रूप से किया गया। श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, श्री नरेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा पिसरान स्व.श्री जमना प्रसाद शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-सी-5 दादाबाडी कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, श्री नरेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा पिसरान स्व.श्री जमना प्रसाद शर्मा का नाम विक्रय पत्र के आधार पर संयुक्त रूप से दर्ज करनें में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, श्री नरेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा पिसरान स्व.श्री जमना प्रसाद शर्मा का नाम विक्रय पत्र के आधार पर संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, श्री नरेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा पिसरान स्व.श्री जमना प्रसाद शर्मा का नाम विक्रय पत्र के आधार पर संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका अन्ता जिला बारां (राज0)

कोटा बारां रोड़, अन्ता 325202 दरदब-07457-244404 फैक्स-244404 Email : antanagarpalika@gmail.com, nagarpalikaanta1@gmail.com

क्रमांक : न.पा.अ./निर्माण/2024-25/4615 दिनांक:- 05/02/2025

निविदा सूचना- 18/2024-25

नगर पालिका अन्ता द्वारा निर्माण संबधित कार्य हेतु विभिन्न विभागों में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ई-निविदा पद्धति से निम्नानुसार ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। संवेदक निविदा प्रपत्र लोक उपापन की वेबसाईट http://Sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकेगें।

NIB No - DLB2425A5524

UBN No - DLB2425WSOB16737

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अन्ता

राज.संवाद/सी/24/11544

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति "विशिष्ट श्रेणी" बून्दी (राज0)

क्रमांक :- राजकाज 13316990 दिनांक :- 30/01/2025

सूचना

मण्डी समिति की आवंटन सूचना क्रमांक 1059-69 दिनांक 30.06.2017 एवं संशोधित सूचना क्रमांक 1086-96 दिनांक 07.07.2017 एवं 800-822 दिनांक 29.07.2021 एवं 259-274 दिनांक 10.06.2022 एवं 655-679 दिनांक 14.10.2024 एवं संशोधित आवंटन सूचना 685-705 दिनांक 17.10.2024 से नवीन कृषि उपज मण्डी प्रांगण (कुंवारती) बून्दी में द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों के आवंटन के क्रम में निर्धारित दिनांक 15.11.2024 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की अस्थाई सूची आज दिनांक 30.01.2025 को जारी कर दी गई है, जिसका नोटिस बोर्ड कार्यालय नवीन कृषि उपज मण्डी प्रांगण कुवांरती बून्दी में अवलोकन किया जा सकता है।

अस्थाई सूची के सम्बन्ध में दिनांक 17.02.2025 तक आपत्तियां मण्डी समिति कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों पर आवंटन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

राज.संवाद/सी/24/11576 **सचिव**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/833 दिनांक:-05.02.2025

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा योजना श्रीरामकृष्णपुरम-ए आवास संख्या 466 का आवंटन क्रमांक 672 दिनांक 05.05.1997 को श्री खुमान सिंह पुत्र श्री लखपत सिंह के नाम आवंटन किया गया था। जिसके उपरांत क्रेता श्री खुमान सिंह पुत्र श्री लखपत सिंह की मृत्यु दिनांक 15.09.2020 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री खुमान सिंह पुत्र श्री लखपत सिंह के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रिलीज डीड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि के आधार पर श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व. श्री खुमान सिंह द्वारा उक्त आवास संख्या 466 श्रीरामकृष्णपुरम-ए अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 466 श्रीरामकृष्णपुरम-ए का नाम हस्तांतरण श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व. श्री खुमान सिंह के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4707 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 23.1.25

आवास संख्या 4-एल-24 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती रुकमणी शर्मा पत्नी श्री विष्णु दत्त शर्मा को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती चन्द्रकला दाधीच पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच के नाम दिनांक 31.03.2003 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती चन्द्रकला दाधीच पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच द्वारा दिनांक 25.07.2003 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्रीमती चन्द्रकला दाधीच पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 28.12.2004 को श्री वशिष्ठ कुमार दाधीच पुत्र श्री हरि बल्लभ शर्मा को किया गया। श्री वशिष्ठ कुमार दाधीच पुत्र श्री हरि बल्लभ शर्मा का नाम दिनांक 08.07.2024 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री वशिष्ठ कुमार दाधीच पुत्र श्री हरि बल्लभ शर्मा द्वारा उक्त दुकान का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 08.08.2024 को श्री कैलाश सैनी पुत्र श्री छोटूलाल सैनी एवं श्री मनीष सैनी पुत्र श्री विष्णु सैनी को संयुक्त रुप से किया गया। श्री कैलाश सैनी पुत्र श्री छोटूलाल सैनी एवं श्री मनीष सैनी पुत्र श्री विष्णु सैनी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-एल-24 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कैलाश सैनी पुत्र श्री छोटूलाल सैनी एवं श्री मनीष सैनी पुत्र श्री विष्णु सैनी का नाम संयुक्त रुप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कैलाश सैनी पुत्र श्री छोटूलाल सैनी एवं श्री मनीष सैनी पुत्र श्री विष्णु सैनी का नाम संयुक्त रुप से दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कैलाश सैनी पुत्र श्री छोटूलाल सैनी एवं श्री मनीष सैनी पुत्र श्री विष्णु सैनी के नाम संयुक्त रुप से दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय प्